

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray ji.

Dr. Shashi Tharoor – Not present.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

